7 राज्य • 1 केंद्रशासित प्रदेश • 19 संस्करण : उत्तर प्रदेश | उत्तराखंड | हिमाचल | जम्मू-कश्मीर | दिल्ली | हरियाणा | पंजाब | चंडीगढ़

राजधानी •
वर्ष 15 | अंक 317 | पृष्ठ : 24
मूल्य : तीन रुपये

अमर उजाला

नई दिल्ली
शनिवार, 24 फरवरी 2018

देश का सर्वाधिक गति का पहला एक्सप्रेसवे होगा, यमुना एक्सप्रेसवे पर भी गति सीमा 100 किमी है

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 120 की गति से दौड़ेंगे वाहन

अमर उजाला ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर वाहन चालक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से फर्राटा भर सकेंगे। इतनी गति वाला यह देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इस पर भारी वाहनों की गति सीमा 80 होगी।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे

दरअसल, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एलान किया था कि अब जितने भी हाइवे बनेंगे उन पर चलने वाले वाहनों की गति सीमा में कम से कम 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ा दी जाएगी। अब तक एक्सप्रेसवे पर कारों की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। केंद्रीय मंत्री के एलान के बाद यह हाईवे बनकर तैयार हो रहा है। इसकी गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है। इसके अलावा भारी वाहनों की गति सीमा फिलहाल 60 है। इसे भी बढ़ाकर 80 करने की तैयारी है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर भी वाहनों की अधिकतम गति सीमा 100 है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक किशोर कनियाल ने बताया कि गति सीमा बढ़ाने की अधिसूचना सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी होनी है। 15 मार्च से पहले ही अधिसूचना जारी होने की उम्मीद हैं।

बता दें कि 135 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 15 मार्च के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसके चालू होने से गाजियाबाद से पलवल तक वाहन बिना दिल्ली गए जा सकेंगे। दिल्ली में करीब रोजाना दो लाख वाहनों का दबाव कम होगा। इससे दिल्ली में प्रदूषण के साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या भी राहत मिलेगी।

काम मार्च तक होगा पूरा

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

कहा, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का काम जून तक पूरा होगा

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि दिल्ली को जाम मुक्त करने वाले 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का काम मार्च तक पूरा हो जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार ने न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को बताया कि 135 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का काम जून तक पूरा होने की उम्मीद है। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस मानेसर के रास्ते कोंडली को पलवल को जोड़ेगा वहीं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे गाजियाबाद, फरीदाबाद, गौतमबुद्ध नगर और पलवल को जोड़ेगा।काम पूरा होने की तिथियों को लेकर विसंगतियों को देखते हुए कोर्ट ने 7 फरवरी को एनएचएआई और हरियाणा सरकार को काम पूरा होने की 'सही स्थिति' बताने को कहा था। कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि । सुनवाई के दौरान न्याय मित्र अपराजिता सिंह ने कहा कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को लेकर कोई परेशानी नहीं है। परेशानी वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार यह शपथ देने को तैयार नहीं है कि इस वर्ष जून तक काम पूरा हो जाएगा। पीठ ने सुनवाई अप्रैल तक के लिए टाल दी। ब्यूरो